



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. राजेश्वर सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Dr. Rajeshwar Singh
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax: + 91-7152-247602

पत्रांक : 003 / 2018 / छा.ग. / 321-64 / 2023
दिनांक 10.08.2023

सूचना

विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ. धरवेश कठेरिया (एसोशिएट प्रोफेसर, जनसंचार विभाग) को विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से विश्वविद्यालय से गत दिनों निलंबित किया गया है। विद्यार्थियों का एक उग्र समूह (जिसमें भूतपूर्व छात्र भी सम्मिलित हैं) उनके समर्थन में दबाव व बलपूर्वक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कल दिनांक 09.08.2023 से जबरदस्ती बैठा हुआ है। जिससे विश्वविद्यालय परिसर में भय और अशांति का वातावरण बना हुआ है तथा कार्यालयीय कार्य बाधित हो रहा है।

इसी बीच विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के एक बड़े समूह ने हस्ताक्षर कर यह मांग की है कि विश्वविद्यालय परिसर में इस प्रकार का नकारात्मक वातावरण बनाने वाले व विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

छात्रों ने यह भी सूचित किया है कि विगत कुछ दिनों से छात्रावासों में अनेक बाहरी व संदिग्ध लोगों का लगातार आना-जाना लगा है। यह अनजान लोग छात्रावासों के परिसर में रुक रहे हैं और देश व समाज विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। ध्यातव्य हो कि इनमें से कई छात्र पूर्व में भी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर हुई हिंसक गतिविधियों में भी सम्मिलित पाये गये हैं।

छात्रों के उक्त निवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में भ्रमण करते समय समस्त छात्र अपने वैध पहचान पत्र को हमेशा अपने साथ रखे तथा सुरक्षा कर्मियों/अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करें जिससे अराजक तत्वों की पहचान हो सके।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कुलसचिव)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा)

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. कुलानुशासक
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
6. समस्त छात्रावास अधीक्षक
7. प्रवेश प्रकोष्ठ
8. प्रभारी, लीला को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. संबंधित पत्रावली